खंड 4 अंक 8 मार्च 2022

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

डा. आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को संसद द्वारा पिछले वर्ष, अधिनियमित किया गया था और यह 30.12.2021 से लागू हुआ है। यह अधिनियम बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन व रखरखाव तथा उनकी सुरक्षित कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के गठन और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की स्थापना की राजपत्रित अधिसूचना तथा इनके लिए नियम भी फरवरी-2022 में अधिसूचित किए गए हैं।

केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपये की राशि का बजट आवंटित किया गया है। परियोजना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन(एमओए) के आधार पर यह भारत सरकार और मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की राज्य सरकारों की संयुक्त परियोजना होगी। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक बीस सदस्यीय संचालन समिति (एससी) भी गठित की गई है। संचालन समिति में कें.ज.आ. का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) और सदस्य(डीएंडआर) द्वारा किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) द्वारा किया जाएगा जिसका गठन किया गया है। यह देश में नदियों को जोड़ने के कार्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, अन्य परियोजनाओं, जिनके लिए डीपीआर तैयार हैं, उन पर पार्टी राज्यों के बीच आम सहमति बनाई जा रही है।

ड्रिप की सफलता के आधार पर, भारत सरकार ने ड्रिप चरण-II और चरण-III के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। योजना के दूसरे चरण को दो बहु-पक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों-विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) द्वारा 250 मिलियन यूएस डालर का वित्त देकर सह-वित्तपोषित किया जा रहा है। एआईआईबी से ऋण के लिए 17.02.2022 को एक ऋण वार्ता बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एआईआईबी, विश्व बैंक, डीईए, जल शक्ति मंत्रालय, कें.ज.आ. और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा, कें.ज.आ. में केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) ने आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना के लिए महीने के दौरान महत्वपूर्ण चर्चा की।

माह फरवरी,2022 के दौरान, के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) के तहत तीन अतिरिक्त जलाशयों को शामिल किया गया। निगरानी के तहत जलाशयों की बढ़ी हुई संख्या देश में समग्र स्तर पर जल भंडारण की स्थिति का बेहतर प्रतिनिधित्व देगी। अब के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए जा रहे 140 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 175.957 बीसीएम है जो देश में अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 68.25% है।

लोअर वर्धा बांध

विषयसूची

- राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की 14 वीं बैठक
- सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता(एसआईएमपी)हेतूएडीबी मिशन
- हिमाचल प्रदेश की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा
- "ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव सेमाजुली द्वीप का संरक्षण"योजना पर टीएसी-बीबी का 17वां दौरा(वर्चुअल)
- जल सहयोग के लिए भारत डेनमार्क बैठक
- द्वितीय रवि ब्यास लिंक परियोजना का पीएफआर तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा
- शाहपुरकंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता जारी करना
- आईईडब्ल्यूपी(चरण-2) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक
- उत्तरी कोयल परियोजना के शेष कार्य की लागत का संशोधन
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के आंशिक लाभ और लागत के आकलन के लिए बैठक
- उझ बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में बैठक
- रेणुकाजी परियोजना के क्रियान्वयन की तैयारी की समीक्षा
- सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, झारखंड का दौरा
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए गठित डीडीआरपी की 19वीं बैठक
- वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कृषि क्षेत्रों, में जल जमाव और नमक/क्षारीय प्रभावित के आकलन के लिए उप-समिति
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)
- असम और मणिपुर में एमएमआई परियोजनाओं के डब्ल्यूयूई का आकलन करने के लिए बेसलाइन स्टडी
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी को जारी रखना और ड्राफ्ट गाईडलाइन की तैयारी
- परियोजना निगरानी
- इतिहास- वंशधारा परियोजना चरण- I

राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की 14वीं बैठक

राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) की 14वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग(जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में 15.02.2022 को आयोजित की गई। एचपीएससी के सदस्यों के साथ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, कर्नाटक सरकार के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। ऊपरी भद्रा परियोजना (कर्नाटक) को राष्ट्रीय परियोजना की योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। एचपीएससी द्वारा राष्ट्रीय परियोजना योजना के तहत ऊपरी भद्रा परियोजना (कर्नाटक) को शामिल करने के लिए सिफारिश की गई।

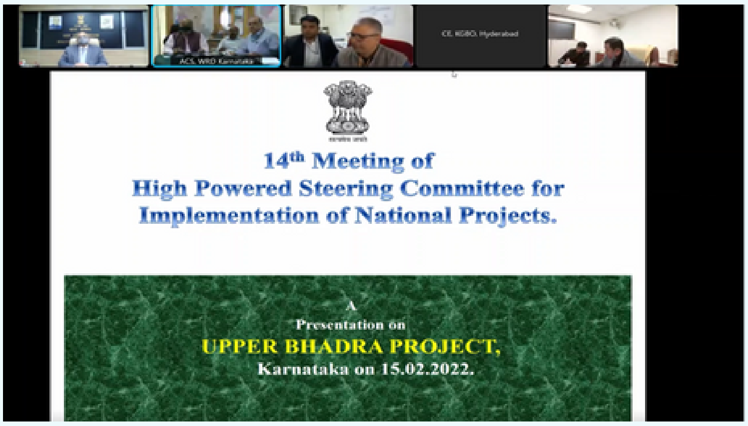

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम की सहायता(एसआईएमपी) के लिए एडीबी मिशन

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सहायता (एसआईएमपी) के संबंध में एशियाई विकास बैंक(एडीबी) के मिशन को शुरू करने के लिए डॉ. आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में 18.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक बुलाई गई। श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ, मुख्य अभियंता, (निष्पादन,पुनरीक्षण एवं प्रबंधन सुधार संगठन) और कें.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने एडीबी और एसआईएमपी सलाहकार की टीम के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। डॉ आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत में एमएमआई योजनाओं के आधुनिकीकरण की बढ़ती आवश्यकता को व्यक्त किया और इस संबंध में एसआईएमपी के तहत किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। साथ ही यह बताया गया कि जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है ताकि बचा हुआ पानी अन्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हो सके और देश के लिए भविष्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईएमपी के लाभों की सफलता और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्यान्वयन के उपयुक्त मॉडल विकसित करने हेतू एडीबी और के.ज.आ. के बीच सहयोग जारी रहना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश की बाढ़ प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा

बैठक में प्रमुख अभियंता, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश ने सुकेती-खड़ परियोजना के संशोधित बीसी अनुपात गणना के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (आरएम), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव ने निम्नलिखित मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए:

i. हानियों को देखने के लिए विभिन्न खड्डों पर परियोजना विस्तार के पिछले 3 से 5 वर्षों की वार्षिक बैंक लाइनों को दर्शाने वाली सैटेलाइट इमेजरी की व्यवस्था की जाए।

ii. विभिन्न प्रत्याशित हानियों की गणना के लिए विभिन्न खड्डों के लिए प्रत्याशित क्षति क्षेत्र को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाए।

iii. विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं और सिंचाई योजनाओं के नुकसान का आकलन करने में, प्रत्येक प्रकार की योजना के लिए समान दरों पर विचार किया गया था। ये मान वास्तविक हुई क्षतियों पर आधारित होने चाहिए।

iv. वार्षिक प्रत्याशित हानियों, नुकसान की गणना विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 50 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक वृद्धि दर पर की गई थी। इस तरह की उच्च वृद्धि दर का संकेत देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ये मूल्य उस क्षेत्र के वास्तविक जमीनी सर्वेक्षण पर आधारित होने चाहिए जो क्षेत्र परियोजना के अभाव में अगले 50 वर्षों में पिछले वर्षों के वार्षिक नुकसान के आधार पर नष्ट होने की कगार पर हैं।

v. राज्य सरकार द्वारा संपत्तियों जैसे बिजली की लाइनें, सड़कें, घर आदि के औसत वार्षिक नुकसान की गणना करने के लिए राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ), हिमाचल प्रदेश सरकार की केवल पिछली चार वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग किया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए पिछले वार्षिक नुकसान (पहले वर्ष की क्षति से) की इन रिपोर्टों का उपयोग वार्षिक औसत क्षति डेटा तैयार करने में किया जाए।

vi. राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ) हिमाचल प्रदेश सरकार की वार्षिक रिपोर्ट में जिले के लिए नुकसान के आंकड़े हैं और विशेष परियोजना को हुए नुकसान पर काम परियोजना क्षेत्र और जिले के क्षेत्र के अनुपात के आधार पर किया गया है, जो सही नहीं है. यदि परियोजना को लागू नहीं किया जाता है, तो प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों के आधार पर क्षति के आंकड़ों का आकलन किया जा सकता है।

इसके अलावा, सदस्य (आरएम), के.ज.आ. ने सुझाव दिया कि प्रत्येक परियोजना की भी समीक्षा की जा सकती है और, यदि आवश्यक होतोगंभीर स्थिति वाले विभिन्न विस्तार क्षेत्र जहां नुकसान अधिक होता हैकेवल उन्हीं को परियोजनाओं की व्यवहार्यता में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

"ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण" योजना का टीएसी-बीबी का 17वां (वर्चुअल) दौरा

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (आरएम), के.ज.आ.और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (टीएसी-बीबी) ने 08.02.2022 को सलमारा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के विशेष संदर्भ में परियोजना स्थल "माजुली द्वीप का ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से सुरक्षा" का वर्चुअल दौरा किया।
सलमारा विस्तार में कटाव के वर्तमान आकस्मिक मुद्दे पर टीएसी-बीबी द्वारा चर्चा की गई और आकस्मिक आधार पर सलमारा के प्रतिप्रवाह प्रभावित विस्तार में कटाव को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद टीएसी-बीबी ने निम्नलिखित सुझाव दिए:
(i) सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे द्वारा माजुली द्वीप के संपूर्ण विस्तार में कटाव की समस्या के एकीकृत समाधान के लिए उपग्रह इमेजरी और अन्य अपेक्षित डेटा पर आधारित एक तेज़ व्यापक अध्ययन कियाजाए। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे और आईआईटी दिल्ली को मिलकर काम करना चाहिए ताकि अध्ययन जल्द से जल्द पूरा हो सके।

इस बीच, ब्रह्मपुत्र बोर्ड साइट की स्थितियों के अनुसार आकस्मिक कार्य कर सकता है और गंभीर स्थिति वाले विस्तार क्षेत्र में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए के.ज.आ. की हैंडबुक-2012 के दिशानिर्देशों का पालन कर सकता है।

जल सहयोग के लिए भारत-डेनमार्क बैठक

श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 09.10.2021 को भारत और डेन्मार्क के माननीय प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण बनाने और उस पर चर्चा करने के लिए 15.02.2022 को डेनमार्क पक्ष के विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक बुलाई। भारतीय पक्ष से दो प्रस्ताव नामतः (i) राष्ट्रीय जल अकादमी , पुणे में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoESWaRM) की स्थापना ; और, (ii) वाराणसी में स्वच्छ नदी जल के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआरडब्ल्यू), की स्थापना का प्रस्ताव

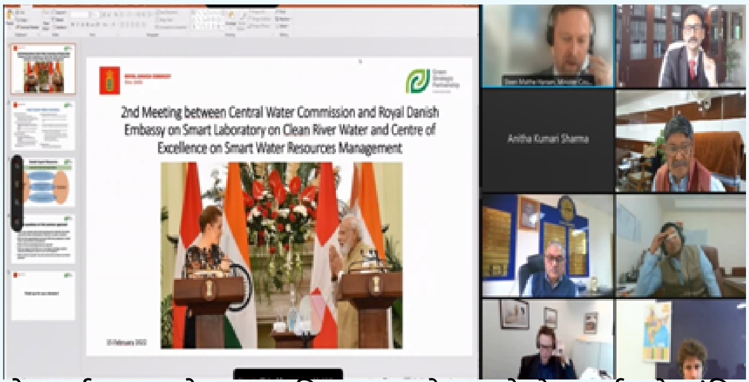

डेनमार्क पक्ष को प्रस्तुत किए गए और आगे के कार्य को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की गई।

चित्रकूट, सतना , एमपी में मंदाकिनी नदी तट पर कटाव संरक्षण कार्य के संबंध में बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (आरएम), के.ज.आ.और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में चित्रकूट धाम, जिला सतना (एमपी) में कटाव संरक्षण कार्यों के लिए डीपीआर पर चर्चा के लिए 02.02.2022 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता, डब्ल्यूआरडी, सतना ने परियोजना के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद, सदस्य (आरएम), कें.ज.आ.ने विभिन्न मुद्दोंजैसे किप्रत्याशित वार्षिक हानियों की गणना करने में पिछली हानि का डेटा, घाट की जलमग्न स्थिति, नदी के दाहिने किनारे पर जल निकासी की स्थितिआदि समस्याओं के बारे में ज़ोर दिया।

उपरोक्त टिप्पणियों के जवाब में, डब्ल्यूआरडी, एमपी के अधिकारियों ने कहा कि डिजाइन पहलुओं सहित सभी मुद्दों विशेष रूप से जल निकास जमाव और नुकसान को संशोधित डीपीआर/ निर्माण चरण में संबोधित किया जाएगा।
इसके बाद, सदस्य (आरएम), के.ज.आ. ने निम्नलिखित निष्कर्ष बिंदू निकाले:
1. राज्य सरकार वास्तविक जमीनी परिस्थितियों के अनुसार नुकसान के आंकड़ों की समीक्षा करेगी और तदनुसार बी/सी अनुपात को संशोधित किया जाएगा
2. राज्य सरकार, जल निकास/जमावकी समस्या को दूर करने के लिए डिजाइन/योजना पहलुओं पर फिर से विचार करेगी।
3. राज्य सरकार जलमग्न परिस्थितियों में घाट की सुरक्षा के लिए उपयुक्त डिजाइन सुनिश्चित करेगी
4. राज्य सरकार द्वारा सभी मुद्दों को संबोधित करने के बाद 07.02.2022 तक संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया जाएगा।।

द्वितीय रावी ब्यास लिंक परियोजना का पीएफआर तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा

श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ.और पदेन अतिरिक्त सचिव, सरकार की अध्यक्षता में दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर की तैयारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 11.02.2022 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,केंद्र और संबन्धित राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान पीएफआर की तैयारी के लिए द्वितीय रावी ब्यास लिंक परियोजना में पानी के स्थानांतरण के संबंध में विभिन्न लिंक मार्गों पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि

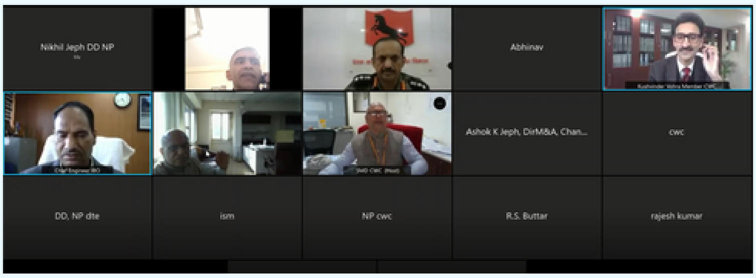

उपरोक्त चर्चा किए गए लिंक मार्गों की वास्तविक जमीनी स्थिति/ वास्तविकता का आकलन करने के लिए जल्द ही क्षेत्र का एक दौरा निर्धारित किया जाएगा।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता जारी करना

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (एसकेडीपी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 07.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा एक बैठक ली गई। बैठक में एसकेडीपी प्राधिकरण, पंजाब सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार और कें.ज.आ.के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में केंद्रीय सहायता के इष्टतम निस्तार और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की प्रगति, धन के उपयोग और संशोधित लागत अनुमानों पर चर्चा की गई। सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ.ने एसकेपीडी प्राधिकरण को निविदा/संशोधित लागत, जिसमे यदि 2018 तक व इसके बाद के खर्च का ब्योरा सम्मिलित हो, के अनुसार एवं डीपीआर के अनुसार घटक-वार लागत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिससे केंद्रीय सहायता की आगे कीकार्यवाही के लिए बिजली घटक और सिंचाई घटक के लागत/व्यय की गणना की जा सके।

आईईडब्ल्यूपी(चरण-2) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक

श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने आईईडब्ल्यूपी (चरण -2) के नोडल अधिकारियों के साथ 16.02.2022 को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की, जिसमें 2022 में आयोजित होने वाले प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ फोरम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित संरचना, सत्र और सामग्री विवरण पर चर्चा की गई (तारीख भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ पारस्परिक परामर्श से तय की जानी है)। बैठक में के.ज.आ., एनएमसीजी और सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों ने भाग लिया। भारत और यूरोप के बीच समय के अंतर को देखते हुए भारत-यूरोपीय संघ मंच आधे दिन के 2 सत्रों के लिए प्रस्तावित है।

बैठक के दौरान, सत्रों के संभावित विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और प्रत्येक नोडल अधिकारी से इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया। यह निर्णय लिया गया कि

Nodal officers of IEWP (Phase-2) in discussion during the meeting

चर्चा किए गए चार विषयगत क्षेत्रों के अलावा जिन अन्य क्षेत्रो मे यूरोपीय संघ के देशों के साथ विभिन्न विभागों द्वारा काम किया जा रहा है उन गतिविधियों को भी संकलित किया जाए। भारत यूरोपीय संघ जल मंच के सत्र विवरण, संरचना और तारीखों के बारे में आगे यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

उत्तरी कोयल के शेष कार्य की लागत का संशोधन

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों की लागत के 7वें आरसीई पर आवश्यक संशोधन/अद्यतन के संबंध में विचारों को दृढ़ करने के लिए श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में 21.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, कें.ज.आ. (मुख्यालय), बिहार और झारखंड राज्य सरकारों और वाप्कोस के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

वाप्कोस के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के 7वें आरसीई (PL 2019) को जुलाई 2019 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। इसलिए कैबिनेट अनुमोदन के लिए आगे प्रस्तुत करने हेतू परियोजना के 7वें RCE को मौजूदा दरों की सूची के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है। विस्तृत चर्चा के बाद, सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), कें.ज.आ. ने निर्देश दिया कि 7वें

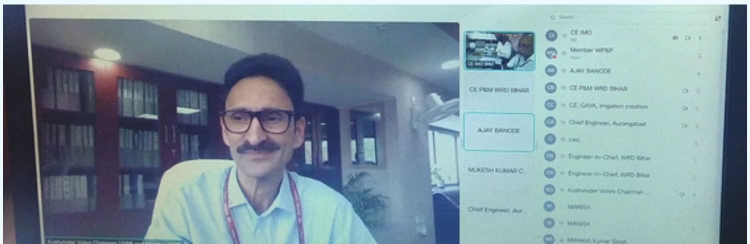

आरसीई को दरों की वर्तमान अनुसूची के आधार पर अद्यतन किया जा सकता है और जहां तक संभव हो, अनुमोदित 7वें आरसीई केसाथ प्रावधानों को भी ध्यान में रखें। यदि किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को शामिल करना आवश्यक हो तो उचित औचित्य के साथ उसकी दर न्यूनतम रखी जाए। साथ ही निर्देशित किया गया कि WRD झारखंड और बिहार के अधिकारियों तथा कें.ज.आ. के फील्ड अधिकारियों के साथ वाप्कोस द्वारा भी फील्ड विजिट किया जाए। कें.ज.आ. में मूल्यांकन के लिए समेकित अद्यतन 7वीं आरसीई जमा करने और बाद में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग से टीएसी के अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।

गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश के हिस्से पर चर्चा के लिए बैठक

गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश के हिस्से पर विचार करने तथा थुपाकुलगुडेम बैराज (समाक्का सागर परियोजना के रूप में नामित) और सीता राम लिफ्ट सिंचाई योजना की जल उपलब्धता सीरीज को अंतिम रूप देने के लिए श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में 22.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विशेष मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी, आंध्र प्रदेश,मुख्य अभियंता (आईएमओ), कें.ज.आ, सदस्य सचिव (जीआरएमबी), निदेशक (आईएसएम-1 निदे.), कें.ज.आ, निदेशक पीए(एस)), कें.ज.आ और कें.ज.आ.के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त बैठक में, आंध्र प्रदेश सरकार ने कें.ज.आ को जल्द से जल्द वांछित जानकारी देने का आश्वासन दिया।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के आंशिक लाभ और लागत के आकलन के लिए बैठक

वित्त मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागके निर्देश के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए एमडीडीएल (+41.15 मीटर) पर अनुमानित आंशिक लाभ और लागत के आकलन पर टिप्पणी मांगने के लिए श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा 22.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक ली गई थी। बैठक में पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), आंध्र प्रदेश सरकार और कें.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया।

आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कें.ज.आ. द्वारा उठाए गए बिंदु-वार अवलोकनों के अनुपालन के बारे में जानकारी दी, जिसमें, आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि एमडीडीएल स्तर (+41.15 मीटर) पर 121.06 हजार हेक्टेयर का आंशिक सिंचाई लाभ परिकल्पित है, जबकि एफआरएल स्तर पर पीआईपी (+45.72 मीटर) पर 291.32 हजार हेक्टेयर के इष्टतम सिंचाई लाभ की परिकल्पना की गई है।

कें.ज.आ.की टिप्पणियों पर विस्तृत चर्चा की गई जिसमें कें.ज.आ.के डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन पहलुओं के अनुपालन को क्रम में पाया गया। इसके अलावा, सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. ने आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को एमडीडीएल (+41.15 मीटर) में पीआईपी की उपरोक्त शेष लागत और आंशिक लाभों के संबंध में के.ज.आ. के विशेष निदेशालयों द्वारा मूल्यांकन की जांच के लिए कार्य तालिका और शेष लागत से संबंधित आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना के संबंध में बैठक

श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ. और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने 23.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना से संबंधित मामलों की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में वाप्कोस, जम्मू-कश्मीर सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और कें.ज.आ. के अधिकारियों ने भाग लिया । बैठक में, पर्यावरण मंजूरी, नहर संरेखण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और परियोजना की निर्बाध शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए अंतिम डीपीआर तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ.ने जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया कि वाप्कोस और पर्यावरण मंत्रालय के समन्वय से पर्यावरण मंजूरी के अनुमोदन में तेजी लाएँ। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर सरकार के

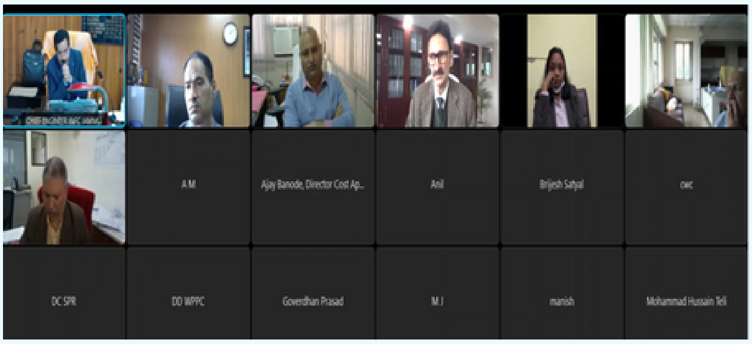

अधिकारियों द्वारा नहर संरेखण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण भी शुरू किया जाए । अंतिम डीपीआर तैयार करने के संबंध में, सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ.ने मुख्य अभियंता (आईबीओ), के.ज.आ.को के.ज.आ.और सीईए के सभी संबंधित निदेशालयों/प्रभागों के समन्वय से जल्द से जल्द अंतिम डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया।

रेणुकाजी परियोजना के क्रियान्वयन की तैयारी की समीक्षा

श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य(जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ.और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में रेणुकाजी परियोजना के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा के लिए 25.02.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूवाईआरबी), के.ज.आ.और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), के.ज.आ.ने सुझाव दिया कि केंद्रीय सहायता (सीए) के लिए कुल पात्रता की गणना एचपीपीसीएल द्वारा किए गए कुल व्यय के आधार पर की जा सकती है, जिसमें राज्य के हिस्से से बिजली विशिष्ट घटक के अलावा अन्य पर खर्च की गई राशि शामिल है।

बैठक में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास तथापुनःस्थापन, परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का कार्यान्वयन

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और 30.12.2021 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने तथा इसके साथ जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के गठन और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की स्थापना की राजपत्रित अधिसूचना और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के नियमों को 17.02.2022 को प्रकाशित किया गया है। इन्हें निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है।

https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/233570.pdf

https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/233571.pdf

सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, झारखंड का दौरा

के.ज.आ. की एक निगरानी टीम जिसमें डॉ. एम. के सिन्हा, मुख्य अभियंता (परियोजना निगरानी संगठन), श्री बलराम कुमार, निदेशक और श्री अमिताभ तिवारी, निगरानी उप निदेशक (पूर्व और पश्चिम) निदेशालय, कें.ज.आ, नई दिल्ली सम्मिलित थे ने 22.02.2022 से 25.02.2022 तक सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का दौरा किया। टीम ने विभिन्न परियोजना स्थलों अर्थात चांडिल बांध, इच्छा बांध, गलुडीह बैराज, खरकई बैराज और इसके नहर वितरण नेटवर्क कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच एक अंतर-राज्यीय परियोजना है। इसका उद्देश्य सुबर्नरेखा नदी और उसकी सहायक खरकई नदी की जल संसाधन क्षमता का उपयोग करके सुवर्णरेखा बेसिन का एकीकृत विकास करना है। इस परियोजना को 2011-12 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया था और परियोजना प्राधिकरणों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार इसके पूरा होने की संभावित तिथि मार्च-2025 है।

समग्र परियोजना में झारखंड (151,323 हेक्टेयर का सीसीए), ओडिशा (109627 हेक्टेयर का सीसीए) और पश्चिम बंगाल (5000 हेक्टेयर का सीसीए) को सिंचाई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

टीमके दौरा करने की तिथि तक 236846 हेक्टेयर, अंतिम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) (झारखंड भाग), में से 107938 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता (आईपी) बनाई गई है और 52896 हेक्टेयर निर्मित सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है। जनवरी 2022 तक 1889.6131 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और 4246.409 करोड़ व्यय किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए गठित डीडीआरपी की 19वीं बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना के बांध डिजाइन समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) की उन्नीसवीं (19वीं) बैठक 23.02.2022 को श्री एबी पंड्या, पूर्व अध्यक्ष, कें.ज.आ.की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), निदेशक सीएमडीडी (एनडब्ल्यू एंड एस), उप निदेशक, सीएमडीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) और तटबंध (एनडब्ल्यू एंड एस) ने पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के डिजाइन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपरोक्त बैठक में भाग लिया।

वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई क्षेत्रमें जल जमाव और नमक/क्षार प्रभावित मिट्टी के आकलन के लिए उप-समिति

श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ. की अध्यक्षता में सभी वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई क्षेत्र में जल भराव और नमक/क्षार प्रभावित मिट्टी के पुनर्मूल्यांकन पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में के.ज.आ, एनआरएससी, हैदराबाद, एनआईएच, रुड़की, आईसीएआर, सीएसएसआरआई के विशेषज्ञ/अधिकारी शामिल हुए। जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत नए अध्ययन के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और तंत्र पर चर्चा की गई। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वे आगे के विचार-विमर्श के लिए इस मुद्दे पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

28.02.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2021-22	व्यय	व्यय(%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	160.00	133.916	83.70%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	7.300	6.423	87.98%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	9.430	8.077	85.65%
4.	बुनियादी ढांचा विकास (आईडी) योजनाएं	Scheme shifted to Non-Scheme Direction & Administration(D&A)		
5.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना(एनएचपी)	23.905 (BE)	8.807	33.05%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	25.00 (BE)	23.00	92.00%

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत गंगा बेसिन में आप्लावन पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली (ईएफडब्ल्यूएस) का विकास

गंगा बेसिन में आप्लावन पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली (ईएफडब्ल्यूएस) का विकास कें.ज.आ. द्वारा एनएचपी के अंतर्गत परामर्श के माध्यम से किया जा रहा है। के.ज.आ. ने इस परामर्श कार्य के लिए मेसर्स एईसीओएम एशिया कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में मेसर्स यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एईसीओएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ11.8.2021 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परामर्श का उद्देश्य आप्लावन पूर्वानुमान सहित एक ईएफडब्ल्यूएस विकसित करना है और एक अनुकूलित जीआईएस उपकरण सहित डब्ल्यूआरआईएस/ई-स्विस/विम्स के साथ इसका एकीकरण करना है जिससे जलस्तर पूर्वानुमान, आप्लावन पूर्वानुमान के वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त हो सके व सभी हितधारकों के लिए क्वेरी बेस्ड बाढ़ चेतावनी/बाढ़ मानचित्र के लिए डैशबोर्ड का विकास करना है। परामर्श के दायरे में 2 साल में सिस्टम का विकास (भाग ए) और विकास के बाद 5 साल के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव (भाग बी) शामिल है। फरवरी 2022 तक की भौतिक प्रगति इस प्रकार है:

- हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए उनके साथ तीन बैठकें आयोजित की गई हैं।
- सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई इनसेप्शन रिपोर्ट को के.ज.आ. ने स्वीकार कर लिया है।
- मॉडल, डैशबोर्ड और अन्य सॉफ्टवेयर घटकों के लाइसेंस पर सलाहकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और के.ज.आ.द्वारा स्वीकार कर ली गई है। जल-मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी डेटा संग्रह, संकलन और विश्लेषण प्रगति पर है।
- नदी क्रॉस-सेक्शन/बेथीमेट्री के सर्वेक्षण के लिए 500 स्थानोंकी संभावित योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और योजना के अनुसार सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वे का करीब 15 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
- लगभग 12000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (1m*1m) का पहला बैच भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हुआ है। इसे आप्लावन मॉडलिंग के लिए संसाधित किया जा रहा है।

एनएचपी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नानुसार है।

क्रम.सं	मद	वर्तमान स्थिति
1	नए एडीसीपी की खरीद	• 29 में से 26 एडीसीपी की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और चालू करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। • इसके अलावा, "50 एडीसीपी की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए खरीद प्रक्रियाधीन है।
2	वेलोसिटी रडार	19 वेलोसिटी रडार सिस्टम की खरीद प्रक्रियाधीन है।
3	आउट बोर्ड (ओबी) इंजन	45 (ओबी) इंजन की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।
4	टोटल स्टेशन	33 टोटल स्टेशनों की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और रखरखाव के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।
5	हाइड्रो ग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग कर जलाशय अवसादन अध्ययन	चरण- I (32 जलाशयों) के लिए कार्य जनवरी, 2021 में प्रदान किया गया है। भारत के अतिरिक्त 87 जलाशयों के हाइड्रो ग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन अध्ययन के गैर-परामर्शी कार्य के लिए खरीद प्रक्रियाधीन है।
6	गंगा बेसिन में आप्लावन पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली	इस के लिए 11.08.2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। सलाहकार द्वारा इनसेप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और जिसकी जांच की जा रही है।
7	विस्तारित जल विज्ञान पूर्वानुमान (ईएचपी) का परामर्श कार्य	ईएचपी को परामर्श कार्य प्रदान किया गया। दूसरी प्रदेय अर्थात डेटा संकलन रिपोर्ट सलाहकार द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है और इसकी जांच की जा रही है।
8	बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन	परामर्शदात्री सेवाएं मार्च, 2021 में प्रदान की गईं। इनसेप्शन रिपोर्ट (पहली प्रदेय योग्य) और डेटा संकलन रिपोर्ट (दूसरी प्रदेय योग्य) को स्वीकार कर लिया गया है और उसके लिए भुगतान कर दिया गया है।
9	जल गुणवत्ता उपकरणों की आपूर्ति (जीसीएमएस और आईसीपी-एमएस)	सभी उपकरणों की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। नई प्रयोगशाला के लिए एक और निविदा प्रक्रियाधीन है।
10	नर्मदा बेसिन में वास्तविक समय आंकडा' अर्जन प्रणाली	अगस्त, 2020 में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 16 एआरजी और 16 एडब्ल्यूएलआर स्टेशन पर स्थापना का काम पूरा हो गया है।
11	अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक समय आंकडा' अर्जन प्रणाली	नवंबर, 2020 में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। 20 स्टेशनों पर स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है।

असम और मणिपुर में एमएमआई परियोजनाओं के डब्ल्यूयूई का आकलन करने के लिए बेसलाइन अध्ययन

असम और मणिपुर राज्यों में एमएमआई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता(डब्ल्यूयूई)के आकलन हेतू बेसलाइन अध्ययन के संबंध में चर्चा के लिए श्री पी.दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ.की अध्यक्षता में 04.02.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), तेजपुर के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। श्रीमती ज्योतिका पेगू, निदेशक (आईपीओ), के.ज.आ. द्वारा के.ज.आ. दिशानिर्देशों के अनुसार डब्ल्यूयूई का आकलन करने की पद्धति पर एक प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, पोमियो, के.ज.आ. द्वारा एनडब्ल्यूएम को संभावित आगे के लिए

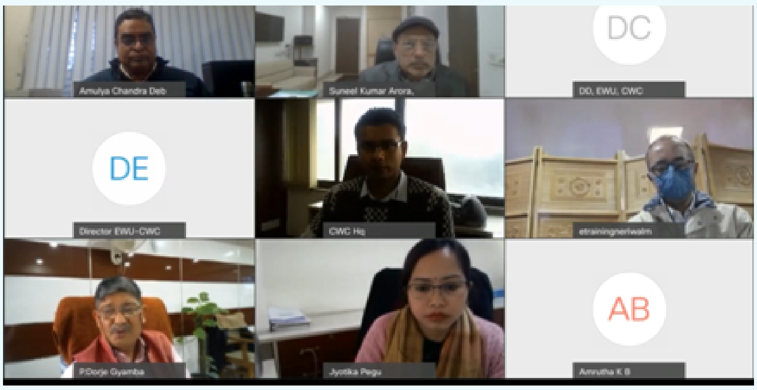

कार्रवाई बिंदु प्रस्तावित किए गए।

ड्रिप के तहत बांध परियोजना का पुनर्वास

डीआरआईपी के तहत छत्तीसगढ़ के चार मौजूदा बांधों के पुनर्वास पर सीपीएमयू-डीआरआईपी, के.ज.आ, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), के.ज.आ और डब्ल्यूआरडी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के बीच 08.12.2021 को हुई बैठक की सहमति के बाद, के.ज.आ. की डिजाइन(एनडब्ल्यू एंड एस) इकाई के अधिकारियों ने 08.02.2022 को रविशंकर सागर बांध और मुरुमसिली बांध, 09.02.2022 को दुधावा बांध और 10.02.2022 को सोंदूर बांध का दौरा किया। डब्ल्यूआरडी, छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी भी के.ज.आ.टीम में शामिल हुए। संयुक्त दल ने परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया:

रविशंकर सागर बांध

यह बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में 2751 मीटर लंबाई और अधिकतम 30.50 मीटर की ऊंचाई का मृदा सह गुरुत्व बांध शामिल है। एफआरएल 348.70 मीटर के साथ, सकल भंडारण क्षमता 910 एमसीएम है। बांध में15 मीटर X 10 मीटर आकार के 14 ऊर्ध्वाधर द्वार हैं।

मुरुमसिल्ली बांध

यह बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी की एक सहायक सिलारी नदी पर स्थित है। इस परियोजना में 165 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता के साथ 2591 मीटर लंबाई और 25.53 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का एक मृदा बांध शामिल है। बांध में 34 साइफन स्पिलवे के अलावा 3.0m X 2.7m आकार के 3 हेड रेगुलेटर हैं।

दुधावा बांध

यह बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी पर स्थित एक सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना में 165 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता के साथ 2907 मीटर लंबाई और 30.53 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का एक मृदाबांध शामिल है। बांध में 2428 क्यूमेक के कुल निर्वहन के लिए डिज़ाइन किए गए 4 हेड रेगुलेटर के अतिरिक्त,एक अपशिष्ट जलनिकास है जिसकी निर्वहन क्षमता 1132.67क्यूमेक है।

सोंढुरबाँध

बांध धमतरी जिले में सोंढुर नदी पर स्थित एक सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना में 198 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता के साथ 3368 मीटर लंबाई और 38.20 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का मृदा सह गुरुत्व बांध शामिल है। 5407 क्यूमेक क्षमता वाले गेटेड स्पिलवे में 15m X 10m आकार के 5 रेडियल गेट हैं। परियोजना के पीएमएफ को संशोधित कर 5276 क्यूमेक कर दिया गया है।

जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के महत्वपूर्ण जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) में फरवरी 2022 के महीने में नीचे नामित तीन और जलाशय जोड़े गए हैं।

जलाशय का नाम	राज्य	सजीव भंडारण क्षमता
चास्कमन	महाराष्ट्र	0.215 बीसीएम
प्रियदर्शिनी जुराला	तेलंगाना	0.168 बीसीएम
सथानुर	तमिलनाडु	0.207 बीसीएम
कुल		0.590 बीसीएम

इन 140 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 175.957 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.25% है। इन जलाशयों में से 45 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 24.02.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 101.209 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 58% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 91.368 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 78.863 बीसीएम था। इस प्रकार, 24.02.2022 के बुलेटिन के अनुसार 140 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 111% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 128% है।

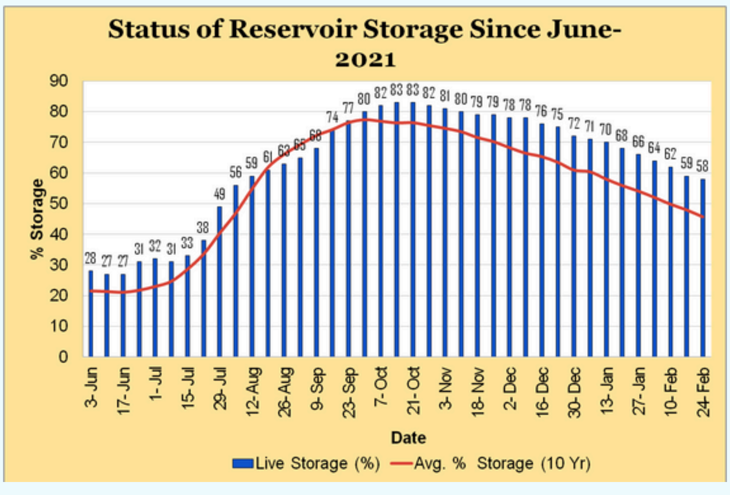

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की निरंतरता और मसौदा तैयार करना

भारत सरकार ने 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की थी जिसका उद्देश्य था; जल स्रोत का एकीकरण और उसका कुशल व इष्टतम उपयोग; खेत पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना तथा खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना; और सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना । इसके अलावा, 2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत चल रही, 76.03 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता वाली 99 वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के परामर्श से दिसंबर, 2019 तक चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई जिसमें उनका कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्य भी सम्मिलित था। नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण तंत्र को केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, इस योजना को आगे मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 06.08.2021 को हुई अपनी बैठक में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना 2021-26 की अवधि को विस्तारित, न्यायसंगत और अधिक समावेशी करने के प्रस्ताव की सिफारिश की। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत वित्त पोषण के लिए कुछ नई परियोजनाओं को शामिल करने के प्रावधान को भी विस्तारित अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 15.12.2021 को ₹93,068 करोड़ के परिव्यय के साथ 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई की निरंतरता और कार्यान्वयन को मंजूरी दी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और वाटरशेड विकास घटकों को 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। बढ़ाए गए कार्यकाल में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत नए सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त ईएफसी नोट में, योजना के दिशा-निर्देशों के लिए कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। तदनुसार, जल शक्ति मंत्रालय ने के.ज.आ.से एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अलग से विस्तृत दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया था। अनुमोदित ईएफसी नोट और कैबिनेट नोट में प्रस्तावित परिवर्तनों के आधार पर एआईबीपी और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया और जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त दिशानिर्देशों में किए गए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

पीएमकेएसवाई में प्रस्तावित पुनरीक्षण/संशोधन - एआईबीपी

क्रमांक	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	एआईबीपी के तहत परियोजनाएं: 99 (और 7 चरण)। कोई नया प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया जा सकता है।	एआईबीपी के तहत नई वृहत/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं को शामिल करना
2	समावेश के लिए मानदंड: 50% भौतिक प्रगति और 50% वित्तीय प्रगति	50% वित्तीय प्रगति की आवश्यकता को हटाये जाने का प्रस्ताव किया गया है और केवल 50% की भौतिक प्रगति को रखने पर विचार किया जाना है।
3	50% भौतिक प्रगति का मानदंड सभी क्षेत्रों में लागू है	उन परियोजनाओं को जिनका कृषि क्षेत्र; सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), आदिवासी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), बाढ़ उन्मुख, जनजातीय क्षेत्र, बाढ़ उन्मुख क्षेत्र में 50% या उससे अधिक हो उनको उन्नत चरण मानदंड (50% भौतिक प्रगति) में ढील देने का प्रस्ताव किया गया है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, ओडिशा के कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, साथ ही विस्तारित नवीनीकरण आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं के लिए और उन राज्यों के लिए भी जिनकी कुल सिंचाई राष्ट्रीय औसत से नीचे है उनको उन्नत चरण मानदंड (50% भौतिक प्रगति) में ढील देने का प्रस्ताव किया गया है।
4	प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं	बाद के वर्षों में भी उचित केंद्रीय सहायता के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
5	कार्य के शतप्रतिशत पूर्ण होने पर ही परियोजना को पूर्ण घोषित किया जाएगा	90% या उससे अधिक कार्य की भौतिक प्रगति होनेपर परियोजना को पूरा मानने की अनुमति है

सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना के लिए परियोजना कार्य दल की पहली बैठक

परियोजना के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी पर चर्चा करने के लिए जल संसाधन प्रबंधन पर भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन के तहत सुवर्णरेखा सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना-स्कोपिंग अध्ययन के लिए गठित परियोजना कार्य दल (पीडब्ल्यूजी) की पहली बैठक श्री पी. दोरजे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सिंचाई ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड (आईएएल) टीम द्वारा अध्ययन करने के लिए आवश्यक डेटासेट की उपलब्धता के संबंध में पीडब्लूजी सदस्यों के साथ चर्चा की जिसमें भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दोनों पक्षों के अधिकारी सम्मिलित थे।

परियोजना निगरानी

के.ज.आ. को 1975 और 1976 के सम्मेलनों में राज्य के सिंचाई मंत्रियों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। के.ज.आ. अंतर-राज्य/बाहरी सहायता/ केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से निगरानी करता है।

आजादी के बाद से भारत में पानी और खाद्य सुरक्षा बनाने के लिए कई नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। हालांकि, विभिन्न कारणों से परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) भारत सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य चल रहे वृहत/मध्यम सहित विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाना था तथा सतही लघु सिंचाई विकास में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने वाली योजनाओं को तेज़ी से पूरा करना था।

स्थापना के बाद से कुल मिलाकर 297 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है, जिनमें से 143 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और पांच परियोजनाएं स्थगित कर दी गई हैं, अतः मार्च, 2015 तक 149 परियोजनाएं चल रही थीं। 2015-16 के दौरान,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की अंब्रेला योजना में एआईबीपी को शामिल किया गया था। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 99 चल रही एआईबीपी परियोजनाओं (और 7 चरणों) की पहचान की गई और उन्हें मिशन के रूप में चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई, जिसकी अनुमानित लागत रु.775.95 बिलियन थी। 01.04.2016 तक की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं की शेष सिंचाई क्षमता 3.464 मिलियन हेक्टेयर थी।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी घटक के तहत शामिल इन परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी के.ज.आ. के पास है, जो पूरे देश में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से निगरानी करता है जैसा कि, पहले एआईबीपी परियोजनाओं के मामले में करता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन परियोजनाओं के निष्पादन में आने वाली बाधाओं को समय पर दूर किया जाता है या नहीं इसके लिए एक व्यापक समीक्षा और निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

सभी वृहत और मध्यम परियोजनाओं में जहां पिछले वर्ष निधियां जारी की गई हैं, उनकी वर्ष में दो बार निगरानी की जाती है और के.ज.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक निगरानी रिपोर्ट तैयार की जाती है। के.ज.आ. परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं पर भी प्रकाश डालता है और उनके समय पर समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

के.ज.आ. ने चल रही एआईबीपी परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए दो बार (मानसून पूर्व और मानसून के बाद) इसरो-भुवन के माध्यम से उपग्रह डेटा और वेब सेवाओं का उपयोग किया। इसने परियोजनाओं में महत्वपूर्ण अंतराल और बाधाओं की पहचान करने में मदद की।

2016-2021 के दौरान, के.ज.आ.द्वारा एआईबीपी की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए 129.99 अरब रुपये की केंद्रीय सहायताजारी करने की सिफारिश की गई थी। समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से छियालीस (46) को पूरा किया गया। इसके अलावा, शेष परियोजनाओं में से, 21 परियोजनाओं में 90% से अधिक की प्रगति है और 14 परियोजनाओं की प्रगति 80 से 90% के बीच है। 2016-21 के दौरान इन परियोजनाओं के माध्यम से 2.274 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

एआईबीपी के तहत कुल परियोजनाएं	297
31.03.15 तक पूरी की गई	143 .
आस्थगित परियोजना	5
बाकी परियोजना	149
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजना	99
पूर्ण	46
प्रगति 90% से अधिक	21
प्रगति 80% -90% के बीच	14
प्रगति 80% से कम	18

के.ज.आ. की क्षेत्रीय इकाइयां कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन(सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं। सीएडीडब्लूएम कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच की खाई को पाटना है जिससे लाइन वाले अधिक से अधिक फील्ड चैनलों के माध्यम से आखिरी सिरे तक खेतों में हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा, नहर सिंचित कमान के लगभग 10% क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से संरचनात्मक हस्तक्षेप द्वारा जल उपयोग दक्षता में सुधार की भी परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय जल आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं की समय-समय पर नमूना आधार (एमआई योजनाओं का कम से कम 20%) पर निगरानी की जाती है और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

यूएचएल III एचईपी के पेनस्टॉक/प्रेशर शाफ्ट के लिए मरम्मत और सुधार कार्य

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल), शिमला ने यूएचएल III जलविद्युत परियोजना (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के मरम्मत/सुधार कार्यों के हिस्से के रूप में पेनस्टॉक/प्रेशर शाफ्ट के हाइड्रोलिक और संरचनात्मक डिजाइन पर के.ज.आ.से सलाह देने का अनुरोध किया। यह मई, 2020 में चालू करते समय पहली इकाई (16MW पर चल रही) के परीक्षण के दौरान यह टूट गया था।

के.ज.आ. ने इस मामले को लिया है और तदनुसार 17.02.2022 को मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में एचपीएसईबीएल डिजाइनरों और के.ज.आ. अधिकारियों के बीच

एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान, निदेशक (सिविल), एचपीएसईबीएल ने इस मुद्दे पर एक प्रस्तुति दी और इस संबंध में अब तक किए गए अध्ययनों/जांच से के.ज.आ. को अवगत कराया।

ड्रिप

एआईआईबी के साथ ऋण वार्ता बैठक

डीआरआईपी चरण II के सह-वित्तपोषण के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से $ 250 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण के लिए 17.02.2022 को ऋण वार्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में एआईआईबी, विश्व बैंक, डीईए, जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., छत्तीसगढ़ राज्य, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऋण के सभी महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया और अन्य दस्तावेजों पर बातचीत की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

बांधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में आईआईटी रुड़की के साथ बैठक

सिंचाई अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), उत्तराखंड सरकार,रुड़की, IIT रुड़की और के.ज.आ. के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के मसौदे पर चर्चा करने के लिए 08.02.2022 को एकवर्चुअल बैठक आयोजित की गई। यह बैठकड्रिप-II के तहत आईआईटी रुड़की में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र के तत्वाधान में आईआईटी रुड़की द्वारा बहादराबाद में आईआरआईरुड़की की भौतिक मॉडलिंग सुविधाओं के उपयोग के संबंध में थी। बैठक में श्री एस.के.साहा, एसई, आईआरआई के नेतृत्व में आईआरआई, रुड़की की टीम, श्री एन.के. गोयल के नेतृत्व में आईआईटी रुड़की के प्रतिनिधिमंडल, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और श्री गुलशन राज, सीई, डीएसओ के नेतृत्व में सीपीएमयू के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। सीपीएमयू ने आईआरआई रुड़की द्वारा साझा किए गए एमओयू के मसौदे के विभिन्न प्रावधानों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। यह निर्णय लिया गया कि आईआईटी रुड़की और आईआरआई रुड़की संयुक्त रूप से एक साथ बैठेंगे और एक पारस्परिक रूप से सहमत मसौदा तैयार करेंगे जिसे आगे की चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए सीपीएमयू के साथ साझा किया जा सकता है। बैठक में आईआईटी रुड़की द्वारा सीओई पर एक मसौदा प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई और यह अनुरोध किया गया कि आईआईटी रुड़की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुरूप मसौदे को संशोधित कर सकता है।

बांध इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में आईआईएससी बैंगलोर के साथ बैठक

सीपीएमयू, ड्रिप-II, के.ज.आ. ने आईआईएससीमें ड्रिप-II के तहत शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित " बांध इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र " के लिए संभावित व्यापक अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने और चर्चा करने के लिए 18.02.2022 को आईआईएससीके साथ एक वर्चुअलबैठक की। श्री अनंत रामास्वामी, अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के नेतृत्व आईआईएससी प्रतिनिधिमंडल और श्री गुलशन राज, सीई, डीएसओ के नेतृत्व सीपीएमयू प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। सीपीएमयू ने भूकंपीय जोखिम विश्लेषण, अवसादन प्रबंधन, जोखिम विश्लेषण आदि से संबंधित कुछ उभरते अनुसंधान क्षेत्रोंपर विचार करनेका सुझाव दिया। आईआईएससी ने बैठक में हुई चर्चा के आधार पर सीओई का मसौदा प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति जताई।

डेटा कॉर्नर

के.ज.आ.के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली(आरएसएमएस) डेटाबेस के अनुसार, 2014 से मानसून के अंत में सामान्य लाइव स्टोरेज (पिछले 10 वर्षों का औसत भंडारण) की तुलना में वार्षिक सजीव भंडारण में भिन्नता वाले बेसिनोंका विवरण।

क्र्सं	बेसिन	एफआरएल पर सजीव क्षमता(बीसीएम में)	पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारणकी भिन्नता % में							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	गंगा	33.264	17.37	-1.96	33.92	5.94	-3.37	26.92	13.57	10.59
2	सिंधु	14.819	-8.14	1.04	-17.8	0.25	17.23	7.42	-23.4	-25.54
3	नर्मदा	22.344	26.95	5.31	19.7	-19.48	13.12	45.33	31.95	3.55
4	तापी	7.394	-5.45	-20.08	17.83	-29.41	-48.2	38.22	29.61	25.88
5	माही	4.012	9.78	-9.24	9.01	11.35	10.87	11.75	3.76	-2.5
6	साबरमती	1.042	2.54	8.53	24.47	28.25	-51.06	45.57	28.96	-47.77
7	कच्छ की नदियाँ और लूणी सहित सौराष्ट्र	1.378	-51.67	22.48	-25.81	46.81	-61.76	38.34	47.63	-2.42
8	गोदावरी	17.714	-7.12	-43.22	20.34	-2.96	-16.5	35.92	32.13	15.1
9	कृष्णा	31.918	-19.35	-57.25	-20.23	6.23	-15.34	24.36	23.23	16
10	महानदी और पड़ोसी ई.एफ.आर	14.369	6.63	-24.59	9.79	0.05	-13.32	11.43	7.28	3.43
11	कावेरी औरपड़ोसी ई.एफ.आर	10.151	11.59	-61.75	-55.73	-5.19	27.14	79.61	61.71	58.18
12	पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण की नदियाँ	16.961	4.2	-32.02	-26.59	-11.06	15.1	22.95	15.86	11.69

सलाहकार मंडल ने अक्टूबर 1952 में भाखड़ा बांध स्थल का दौरा किया। बाए से दाए: खुंगर, निकेल, सैवेज, खोसला, बैंक्स, मेक्लेलन, हम्मांड, स्टील, जॉनसन, रॉहॉसर, हांडा, पाठक, गुप्ता, हाजरा, भटनागर, बरकत राम, चड्ढा

जल क्षेत्र समाचार

- जलजीवन मिशन पर ज्यादा जोर— जलशक्ति मंत्रालय को 86,189 करोड़ रुपये (हिन्दुस्तान, 02.02.2022)
- केन—बेतवा लिंक : बजटमें 1400 करोड़ का प्रावधान (अमरउजाला, 02.02.2022)
- ग्लेशियर बनने में लगे 2000 साल, 25 वर्ष में आधा पिघला (राजस्थानपत्रिका, 06.02.2022)
- दक्षिण भारत में जलविवाद का मुद्दा गरमा सकता है रिवरलिंकिंग प्रोजेक्ट (राष्ट्रीयसहारा, 07.02.2022)
- केन—बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का हुआ गठन (अमरउजाला, 13.02.2022)
- जल जीवन मिशन : 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल (राजस्थानपत्रिका, 17.02.2022)
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार गठित (राष्ट्रीयसहारा, 19.02.2022)
- 1 से 3 मार्च तक होगी सिंधु जल आयोग की बैठक— भारत का प्रतिनिधिमंडल जाएगा पाकिस्तान, पहली बार 3 महिलाएं (अमरउजाला, 21.02.2022)
- पानी पर आम आदमी के हकपर नहीं हो कोईदु विधा (राजस्थानपत्रिका, 22.02.2022)
- यमुना की सफाई कोलेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार गंभीर : सत्येंद्रजैन (पंजाबकेसरी, 28.02.2022)

गैलरी/आज़ादी का अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, कें.ज.आ.की गतिविधियों, एकल उपयोग प्लास्टिक (एक समस्या) और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग से जल संरक्षण के बारे में 28.02.2022 को वाईबीओ, कें.ज.आ. द्वारा मोहना गांव, जिला फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दिनांक 21.02.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति ने यमुना बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग के साथ निरीक्षण बैठक की। इस दौरान समिति ने मंत्रालय एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हो रहे राजभाषा हिन्दी के कार्यों का अवलोकन किया।

18.02.2022 को एसई, एचओसी और ईई, ईआरडी भुवनेश्वर की उपस्थिति में सीई, मेरो, भुवनेश्वर द्वारा एचओ साइट गोपीबल्लवपुर में नवनिर्मित साइट कार्यालय का उद्घाटन किया गया।

इतिहास- वंशधारा परियोजना चरण- I

आंध्र प्रदेश में चौथी सबसे बड़ी नदी वंशधारा, कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ गांव के पास पूर्वी घाटों से उत्पन्न होती है और कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले लगभग 254 किमी की कुल दूरी तय करती है। कई सहायक नदियाँ दोनों ओर से नदी में मिलती हैं। इसका अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र बाईं ओर पड़ता है। बेसिन संकरा है और उतार-चढ़ावसे भरा है। इस बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 10830 वर्ग किमी है। नदी का बेसिन, हालांकि ऊपरी इलाकों में काफी चौड़ा है,पर नीचे की ओर धीरे-धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और हीरामंडलम नामक गांव जहां परियोजना शुरू हुई थी,के पास यह लगभग 24 किमी चौड़ा रह जाता है। जलग्रहण क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून दोनों से प्रभावित होता है जो ज्यादातर जून से नवंबर की अवधि में होता है।

अंतर्राज्यीय समस्या

लंबी चर्चा के बाद, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकारों ने 115 टीएमसी की डीपेंडेबल यील्ड को 50:50 के आधार पर साझा करने के लिए एक समझौता किया। जलाशय के निर्माण के लिए सिंगीडी, मदनपुरम, गुडरी, गोट्टा और हीरामंडलम में विभिन्न स्थलों की जांच की गई। दोनों सरकारें ऊपरी पहुंच में एक संयुक्त परियोजना पर काम करने के लिए एकसहमति न बना सकीं। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सीमाक्षेत्र में एक उपयुक्त योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इससे निचली पहुंच में स्थित मैदानी इलाकों में जलाशय के लिए स्थान ढूँढना आवश्यक हो गया था ताकि ओडिशा राज्य में किसी भी जलमग्न की समस्या से बचा जा सके। यहां तक कि गोट्टा में उपलब्ध अंतिम स्थल में ओडिशा राज्य के परलाकिमिडी शहर में 142 हेक्टेयर के कुछ सीमांत क्षेत्र जलमग्न थे। इसके अलावा, इस स्थान पर एक जलाशय ने राज्य के भीतर लगभग 9000 हेक्टेयर की विशाल मूल्यवान भूमि को जलमग्न कर समस्या पैदा कर दी और इसका कड़ा विरोध हुआ। इस विकट समस्या से निजात पाने के लिए नदी की सहायक नदी घाटी में नदी के प्रवाह को मुड़ने से रोकने के लिए एक जलाशय बनाने का एक नया विचार आया। इस विकल्प से, न केवल नदी के किनारे की मूल्यवान भूमि को बचाया गया, बल्कि भंडारण क्षमता को खोए बिना जलमग्नता की सीमा को घटाकर 2830 हेक्टेयर कर दिया गया।

विशेषताएँ

स्वीकृत योजनाएं जिन पर विचार किया गया:

(ए) हीरामंडलम गांव के पास एक छोटी घाटी में एक जलाशय का निर्माण

(बी) नदी के दाहिनी ओर लगभग 8100 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए नेराडी गांव के पास वंशधारामें एक बैराज तथा बैराज से दाहिनी ओर एक नहर का निर्माण और अंत में उपरोक्त जलाशय को नदी के पानी की आपूर्ति;

(सी) गोट्टा में वंशधारामें एक बैराज का निर्माण और नदी के बाईं ओर लगभग 60000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए बाईं ओर नहर की खुदाई;

(डी) नदी के दाहिनी ओर स्थित लगभग 43000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए हीरमंडलम जलाशय से हीरामंडलम नहर का निर्माण और;

(ई) नदी के बायीं ओर नहर में मुड़ने के कारण जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी देखने और नदी के बाईं ओर खेती को तेजकरने के लिए हीरामंडलम जलाशय और गोट्टा बैराज के बीच लिंक नहर निर्माण।

चरण- I

उपलब्ध सीमित वित्त को देखते हुए, चरण दर चरण लाभ प्राप्त करने के लिएव्यापक योजना को चरणों में निष्पादित करने का प्रस्ताव था। शुरुआत करने के लिए, गोट्टा साइट पर वंशधारा पर बैराज बनाने और चरण I के तहत बाएं किनारे की नहर का निर्माण करने के लिए, लगभग 20200 हेक्टेयर (49890 एकड़) अयाकट की सिंचाई और 39800 हेक्टेयर (98494 एकड़) के क्षेत्र में खुले हेड चैनलों और टैंक आपूर्ति से अनिश्चित सिंचाई आपूर्ति को स्थिर करने का प्रस्ताव था। इन कार्यों पर करीब 8.70 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद थी। शेष कार्यों पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद थी जिन्हें चरण-I के तहत काम पूरा होने के बाद में लिया गया था।

गोट्टा बैराज

गोट्टा गांव के दक्षिण-पश्चिम में लगभग आधा मील की दूरी पर वमसधरा पर गोट्टा बैराज स्थित है। बैराज 492 मीटर (1614 फीट) की पूरी नदी की चौड़ाई को कवर करता है और जलग्रहण क्षेत्र से बहने वाले अधिकतम 8123 घन मीटर/सेकंड जल का निर्वहन करता है। अधिकतम बाढ़ निर्वहन के दौरान नदी के अधिकतम बाढ़ स्तर में मामूली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, नदी के दोनों ओर बैराज के ऊपर 7.3 किमी की लंबाई के लिए बाढ़ तट का निर्माण कियागया है। नदी के दोनों किनारों के बीच एक महत्वपूर्ण संचार प्रदान करने के लिए बैराज में 7.32 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग है, क्योंकि नरसनपेट में इस नदी पर एकमात्र मौजूदा पुल बहुत नीचे था।

यहां निर्माणाधीन पियर्स 20 और 21 के बैराज फुटेज और 22 पियर के लिए नींव की खुदाई दिखाई दे रही है।

गोट्टा बायीं नहर

गोट्टा वाम नहर एक समोच्च नहर के रूप में संरेखित है और लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 108 किमी की लंबाई तक बहती है। चरण-I के लिए कुल लागत रु. 8.64 करोड़ में से नहर प्रणाली की अनुमानित लागत 5.40 करोड़ रु.थी।

परियोजना को 1970 में शुरू किया गया था और 1977 में पहली बार सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया था। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 109.00 करोड़ रु.(मूल्य स्तर 1997-98)थी। योजना का लाभ लागत अनुपात 10% ब्याज दर पर 6.6 था। इसने उपलब्ध प्रवाह को प्रभावी ढंग से मोड़ने में मदद की और स्तर-II के पूरा होने के बाद नदी के पानी का एक बड़ा हिस्सा लाभकारी उपयोग में लाया गया। राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए और लाभार्थियों के बीच भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए परियोजना से सुधार कर वसूलने पर विचार किया गया जिसकी दर मौजूदा आर्द्र क्षेत्र के लिए 250 रु/हेक्टेयर और नए प्रस्तावित आर्द्र क्षेत्र के लिए 500रु/हेक्टेयर थी।

स्रोतः भगीरथ (अक्टूबर-1972)

बानसागर बांध

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अजय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री समीर कुमार झा , निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in